

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/18/2016/19/यो 4321

भोपाल दिनांक 03/08/2016

प्रति,

✓ प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 144वीं बैठक।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 144वीं बैठक जो दिनांक 04.07.2016 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार योजना मद के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.	जिला	मांग संख्या	कार्य का नाम	लंबाई (कि०मी० में)	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	सीहोर	24/5054	गिल्लोर से गोरखपुर मार्ग	4.00	483.24
2	शिवपुरी	24/5054	कोठी नं. 18 पहुँच मार्ग	0.69	179.09
3	सतना	24/5054	जिगना हिनोती मार्ग	11.30	708.11
4	सतना	24/5054	झिन्ना मर्जादपुर भैंसरहा चर्की घाटी मार्ग	13.20	526.66
5	भिण्ड	24/5054	भिण्ड मिहोना मार्ग से बिलाव का पुरा मार्ग	3.00	135.53
6	भिण्ड	24/5054	रतनपुरा आलमपुर मार्ग	9.20	998.90
7	नरसिंहपुर	24/5054	टेमी मल्लाह पिपरिया मार्ग	5.00	335.40
8	नरसिंहपुर	24/5054	करकबेल बेलखेड़ा मार्ग	6.50	432.57
9	नीमच	24/5054	नलवा से कुण्डाला मार्ग	5.50	518.17

2/ उक्त कार्यों हेतु वर्ष 2016-17 के बजट में माँग संख्या 24/5054 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराये जावें। कार्यों हेतु प्राप्त प्राक्कलन वापिस किये जाते हैं।

PATIL/SFC-A-2016-139

[Signature]
01/08/2016


शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराये जावे, तथा प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।

3/ उपरोक्त कार्यो हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जावे।

4/ उक्त स्वीकृत कार्यो को वेबसाईड पर डाला जाये।

सहपत्र:-09 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


01/08/2016
(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)
सचिव


पृ0 क्रमांक एफ-43/18/2016/19/यो 1322
प्रतिलिपि:-

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग
भोपाल दिनांक 03/08/2016

1. मुख्य अभियंता (राज0परि0) लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2. मुख्य अभियंता (उत्तर परि0) लोक निर्माण विभाग ग्वालियर।
3. मुख्य अभियंता (रीवा परि0) लोक निर्माण विभाग रीवा।
4. मुख्य अभियंता (मध्य परि0) लोक निर्माण विभाग जबलपुर।
5. मुख्य अभियंता (उज्जैन परि0) लोक निर्माण विभाग उज्जैन।
6. निज सचिव, मान. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ (केवल क्रमांक 06 के लिये) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र:-शून्य


01/08/2016
सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग
118

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/18/2016/19/यो 4422
प्रति,

भोपाल दिनांक 06/08/2016

✓ प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 144वीं बैठक।
(होशंगाबाद जिले के अंतर्गत खकरापुरा बैराखेड़ी खरार से पिपलिया कालीछापर मार्ग)

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 144वीं बैठक जो दिनांक 04.07.2016 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार होशंगाबाद जिले के अंतर्गत खकरापुरा बैराखेड़ी खरार से पिपलिया कालीछापर मार्ग लंबाई 9.50 लागत 722.06 लाख (सात करोड बावीस लाख छः हजार) केवल की योजना मद के अंतर्गत पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

2/ उक्त कार्यो हेतु वर्ष 2016-17 के बजट में मांग संख्या 24/5054 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराया जावे। कार्यो हेतु प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन वापिस किया जाता है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकताये पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराया जावे, तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति में प्राक्कलनित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।

3/ उक्त कार्य हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति अनुसार अनुबंध की शर्तो के अनुरूप नियमानुसार कार्य संपन्न कराया जाये।

4/ उक्त स्वीकृत कार्यो को वेबसाईड पर डाला जाये।

सहपत्र:-01 पुनरीक्षित प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)

सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग
भोपाल दिनांक 06/08/2016

पृ0 क्रमांक एफ-43/18/2016/19/यो 4423
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता (राज.परि0) लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2. निज सचिव, मान. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ (केवल क्रमांक 02 के लिये) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र:-शून्य

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग
भोपाल दिनांक 06/08/2016